

# फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

उर्मिला पिता मूलचन्द उर्फ मूला ब्राहमण नि.हाल पत्नि कैलाश चन्द्र शर्मा नि. भीलवाडा  
बनाम

महावीर पिता हीरा जाट नि. पण्डेर वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 22<sup>8</sup> / 2022

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज   | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो हुकम की<br>तामील में जारी ह्ये |
|------------|---|--|
| 04.04.22   | <p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बिहाडा प. ह. बिहाडा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1177 कुल किता 1 रकबा 0.4320 हैक्टेयर एवं आ.न. 1176/2, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283/1, 1285/1, 1285/2, 1363, 1365, 1669/2, 1693, 2131/1137, 2132/1357, 993, 994 कुल किता 17 रकबा 4.3740 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बन्ध 2076 से 2079 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडौसियान के विवाद करने बावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम बिहाडा प. ह. बिहाडा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1177 कुल किता 1 रकबा 0.4320 हैक्टेयर एवं आ.न. 1176/2, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283/1, 1285/1, 1285/2, 1363, 1365, 1669/2, 1693, 2131/1137, 2132/1357, 993, 994 कुल किता 17 रकबा 4.3740 हैक्टेयरकी बसामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 04.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"><br/>उपखण्ड अधिकारी,<br/>जहाजपुर(भीलवाडा)</p> |  |